

# न्यायालय उपजिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या 11 सन 2015-16  
एस0एम0बी0एल0 एकेडमी महुअन बनाम सरकार

धारा- 143 ज0 वि0 एवं भू0 व्य0 अधि0  
मौजा- महुअन, तह0 व जि0 मथुरा



## न्याय आदेश

प्रार्थी एस0एम0बी0एल0 एकेडमी महुअन द्वारा सचिव राजपालसिंह पुत्र सोरनसिंह निवासी महुअन तहसील व जिला मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2015 में अंकित किया है कि मौजा महुअन तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 138 खसरा सं0 127 रकवा 1.362 हैक्ट0 भू0रा0 20.00 रूपया के संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज कागजात है। उक्त भूमि कृषि, पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, बागवानी आदि कृषि कार्य के उपयोग में नहीं लाई जा रही है, को अकृषित भूमि घोषित किए जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थी ने उपरोक्त की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के प्रारूप 135 पर संस्तुति आख्या दिनांक 20.10.2015 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि मौजा महुअन तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता सं0 138 के खसरा सं0 127 रकवा 1.362 हैक्ट0 भू0रा0 20.00 रूपया के एस0एम0बी0एल0 एकेडमी महुअन द्वारा सचिव राजपालसिंह पुत्र सोरनसिंह निवासी महुअन तहसील व जिला मथुरा, के संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार दर्ज कागजात है। प्रश्नगत भूमि कृषि, पशुपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, बागवानी आदि कृषि कार्य के उपयोग में नहीं लाई जा रही है। यह भूमि आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरण एवं अन्य किसी स्थानीय निकाय द्वारा शासकीय एवं अन्य प्रयोजन के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। उपरोक्त भूमि से सम्बन्धित कोई विवाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा एवं फोटोग्राफ आख्या के साथ संलग्न है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तावित भूमि को धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने की संस्तुति की गई है।

वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। क्षेत्रीय लेखपाल श्री शिवरामसिंह का सशपथ बयान दर्ज किया गया, जिसमें तहसीलदार, मथुरा की आख्या दिनांक 20.10.2015 की पुष्टि की गई है।

अतः वादी के शपथ पत्र एवं तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति आख्या दिनांक 20.10.2015 के आधार पर मौजा महुअन तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता सं0 138 के खसरा सं0 127 रकवा 1.362 हैक्ट0 भू0रा0 रूपया को निम्नवत् अकृषिक घोषित/प्रख्यापित किया जाता है।

ग्राम का नाम	खातेदार का नाम व बलदियत व पता	खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूराजस् व (रूपयों में)	अकृषिक उपयोग में लायी जाने वाली भूमि का विवरण			प्रयोजन / विशेष विवरण
						खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूराजस्	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
महुअन तहसील व जिला मथुरा	एस0एम0बी0एल0 एकेडमी महुअन द्वारा सचिव राजपालसिंह पुत्र सोरनसिंह निवासी महुअन तहसील व जिला मथुरा	138	127	1.362	20.00	127मि.	1.000	14.70	आबादी अकृषिक विस्तार हेतु
	योग	1कृिता	1किता	1.362	20.00	1किता	1.000	14.70	

तहसीलदार, मथुरा की उक्त आख्या आदेश का अंग होगी। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में प्रंजीकृत करने हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

दिनांक:-

(राजेश कुमार)

उपजिलाधिकारी, मथुरा

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा / उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में इन्द्राज कराने हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार)

उपजिलाधिकारी, मथुरा

Secretary  
S.M.B.L. Academy  
NH-2, Mahuan, Farah, Mathura

16  
29/10/15  
29/10/15  
29/10/15  
(50)

28/10/15  
29/10/15